2017/37

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –27/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
बलवीर पुत्र पीराराम जाति जाट निवासी डूकियों की ढाणी तहसील मेडता जिला नागौर		1. राजस्थान राज्य जरिए पटवारी पटवार मण्डल, कडवासरों की ढाणी तहसील मेडता, जिला नागौर 2. नायब तहसीलदार, मेडता

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी।
2. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 27.07.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2016 सरकार बनाम बलवीर अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.02.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि हल्का पटवारी कडवासरों की ढाणी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि संवत् 2073 में ग्राम डूकियों की ढाणी के खसरा नम्बर 945 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर नाजायज कब्जा किया है। जिस शिकायत को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलार्थी/गैरसायल स्वंय उपस्थित आया तथा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा लिखित जवाब में स्वंय द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण करने से मनाह किया है उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 245 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता से अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने जुर्माना रूपये 3/– अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित किया जाकर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया जिसे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

निर्णय एंव आदेश जैर अपील विंधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को पश्चात्वृति अतिक्रमी मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एंव तथ्य की भारी भूल की है चूंकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी थी जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी ने पहले कोई अतिक्रमण किया हो और ऐसे अतिक्रमण को बाद में मौके पर से हटाया गया हो और अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया हो, जब ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर थी ही नहीं हो तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को पश्चात्वृति अतिक्रमी मानने में भूल की है। उक्त प्रकरण में पश्चात्वृति अतिक्रमी मानने से पूर्व विधि अनुसार मापदण्ड बताये गये है और ऐसे मापदण्डों की पालना किये बिना किसी व्यक्ति को पश्चात्वृति अतिक्रमी

घोषित नहीं किया जा सकता इस स्थिति पर अधिनस्थ न्यायालय में किंचित मात्र भी घोर नहीं किया है।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो पत्रावली को देखने मात्र से प्रकट होता है जहां पत्रावली दिनांक 30.01.2017 को पटवारी के बयान हेतु उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 6.2.17 को नियत की जाती है, इसी दरमियान दिनांक 2.2.17 को पटवारी के बयान लिखे जाते है उस समय अपीलार्थी उपस्थित ही नहीं था क्योंकि उस दिन तो पेशी ही नियत नहीं थी । ऐसी स्थिति में पटवारी से अपीलार्थी की कोई जिरह नहीं हो पायी थी। अपीलार्थी की पटवारी से जिरह नहीं होने के कारण पटवारी की उक्त साक्ष्य अपीलार्थी के विरूद्ध पढी नहीं जा सकती थी। प्रकरण में अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं था न ही अपीलार्थी को कभी मौके से बेदखल किया गया था।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी बनकर आये पटवारी का कोई बयान नहीं हुए है और पहले जो कब्जा हटाने के पटवारी के बयान हुए है उससे कोई जिरह का अवसर अपीलार्थी को नहीं दिया गया है इस आधार पर कोई साक्ष्य अपीलार्थी के विरूद्ध पत्रावली पर नहीं थी। अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त मामला राजनैतिक द्वेषतावश व गांव की अदावती के परिणाम स्वरूप राजेन्द्र, उगराराम, परसाराम तीनों ने मिलकर झुठी शिकायत की थी जो तीनों आपस में बाप बेटे है। इसी राजेन्द्र के हस्ताक्षर कब्जा हटाने की फर्द पर भी अंकित है और इसी राजेन्द्र द्वारा बार–बार झुठी शिकायते की जा रही है। अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही पूर्णतया गलत रूप से हुई है जबकि जिनके वास्तव में कब्जे है उनके विरूद्ध आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा ऐसे व्यक्तियों की कार्यवाहियां लम्बे समय से अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित पडी है। शिकायतकर्ता राजेन्द्र ने इसी खसरा नम्बर 945 पर चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसके विरूद्ध आज दिन तक कोई कार्यवाही संबंधित पटवारी व तहसीलदार द्वारा नहीं की जा रही है का कथन करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव आदेश को निरस्त घोषित किया जावे एंव अपीलार्थी के विरूद्ध पेश की गई कार्यवाही को ड्रोप फरमाने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 14.5.2013 पेज 307, आर.आर.डी. अप्रेल 2003 पेज–202, आर.बी.जे.(8)2001 पेज 475 बजरंगा बनाम राज0 सरकार न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलांट ने ग्राम डूकियों की ढाणी के खसरा नम्बर 945 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर नाजायज कब्जा किया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 12.01.2017 को अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 945 पर किसी प्रकार का अतिचार नहीं किया गया है। पटवारी हल्का ने उगराराम, राजेन्द्र, परसाराम से मिलिभगत करके झूठे तथ्य दर्ज करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध 91 में अतिचार बाबत कार्यवाही की है। परन्तु अपीलान्ट ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि हो की अपीलान्ट द्वारा अतिकमण नहीं किया गया हो। इसलिए अपीलान्ट की अपील सारहीन होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अद्योपान्त अवलोकन किया।

हस्तगत प्रकरण पटवारी हल्का कड़वासरों की ढाणी एवं भू अभिलेख निरीक्षक हरसोलाव की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2016 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा मौजा डूकियों की

ढाणी की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 945 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पत्थर व कांटे डालकर नाजायज अतिक्रमण किया गया है।

2. प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर स्वंय का कोई अतिक्रमण नहीं होने तथा पटवारी हल्का द्वारा उगराराम, राजेन्द्र, परसाराम से मिलीभगत करके झूठे तथ्य दर्ज करते हुऐ प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध 91 में अतिचार बाबत कार्यवाही करने का कथन किया है, परन्तु अपीलान्ट ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि हो की अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया हो।
3. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.1.2017 के अनुसार हल्का पटवारी बयान हेतु उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में आगामी पेशी 6.2.2017 को नियत की गई। परन्तु प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान दिनांक 2.2.17 को ही ले लिये गये जबकि उक्त प्रकरण दिनांक 2.2.17 को सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियत ही नहीं किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 6.2.2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने, जुर्माना एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई है।
4. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बेदखली दिनांक 3.12.16 के अनुसार ग्राम डूकियो की ढ़ाणी ख0नं0 945 रकबा 0.01 हैक्टयर गै.मु. रास्ते की भूमि पर खेजड़ी के कांटो व लकड़िया डालकर अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार के आदेश पर अतिक्रमण को हटाया जाकर मौके पर उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाया गये है। परन्तु उक्त अतिक्रमण के संबंध में विधि अनुसार कोई प्रकरण दर्ज कर उसमें निर्णय पारित करने के उपरान्त, निर्णय की अनुपालना अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही कर उक्त फर्द बेदखली तैयार की गई हो ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध रिकार्ड से प्रकट नहीं है।
5. हस्तगत प्रकरण में उक्त वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया जाना साबित है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दिनांक 2.2.17 को लिये गये है, जबकि दिनांक 2.2.17 को प्रकरण सुनवाई हेतु नियत ही नहीं था, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की सुनवाई में अनियमिता बरती गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को सिविल कारावास की सजा की हद तक अपास्त किया जाता है, एवं शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय को हिदायत की जाती है उपरोक्त विवेचन में दर्शाई गई अनियमितता भविष्य में नहीं बरती जावे एवं किसी भी प्रकरण में निर्णय/आदेश विधि द्वारा निर्धारित की सम्पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए ही पारित किया जाना सुनिश्चित करें। अधिनस्थ न्यायालय का उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर